

542  
2017  
27  
1152  
23/10/17

A. Jable 23/10

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर

संचालनालय तकनीकी शिक्षा छ.ग.  
JD(Acad)  
13 OCT 2017  
समपुर, दिनांक /10/2017

:: आदेश ::

क्रमांक/एफ 9-37/2017/तक.शि./42 “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 02.08.2017 को श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस-श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़ के एम.सी.ए. इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम की फीस का निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिये कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता। संस्थाओं का निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट में संलग्न है। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट में शामिल श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस-श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़ की फीस सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं “न लाभ न हानि” के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही “न लाभ न हानि” के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
7. द्वितीय एवं उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिवस पश्चात तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है।
8. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।
9. विद्यार्थी के द्वारा संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर संस्था को विधि अनुकूल तथा एआईसीटीई/यूजीसी/राज्य शासन के दिशा निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को फीस वापस की जावेगी।
10. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।

